

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्रीमती जीवा





विपक्षी

श्री रतनलाल

न मुकदमा

88, 63(1)(4), 188

पत्रावली संख्या 135/22 सन्

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>10/02/22 पत्रावली दर्ज रजिस्टर हाकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/गोटिस तलब किंगे चक्र पत्रावली बाद तलबी दिनांक. 21/02/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर (SDO) मावली</b> </p>	
	<p>11/9/22 व्यवसाय वादी/प्रतिवादी उप./के लिये मौका चाहते है। अतः नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 29/9/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>SDO मावली</b> </p>	
	<p>29/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक... 27/10/22 को पेश हो।</p>	
	<p>27/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक... 1/12/22 को पेश हो।</p>	
	<p>01/12/22 व्यवसाय वादी/प्रतिवादी उप./के लिये मौका चाहते है। अतः नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 09/01/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>SDO मावली</b> </p>	

9/1/23 आज दिनांक की वार एग्जिस्टिंग मावली नै कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... 27/3/23 को पेश हो।

27/03/23 बकुलाय का पी/नमिनी वग/ नोटिस  
के लिये मीटिंग का हुआ है।  
अब पत्र दिया जाकर नमिनी दि. 05/06/23 को पेश हो।  
200 मावली

20/04/23 पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गावों के संघ अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारण को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प 21/5/23 दिनांक 05/06/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

5/6/23 पत्रावली आज भी पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 4/9/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

09/9/23 पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा उर्ध्व पत्र तलबी मय बिट्टी का पेश करने पर राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान - 2023 में तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्र. पत्र बिट्टी का पेश कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने से प्रकरण को बस्ती स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादीगण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने से प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को बस्ती स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली कैम्पल सुमार लेकर नम्बर के कम हों।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (SDO) मावली

जीवा

त्रैकुमार

24/09/23